—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 194/2024

उनवान

1. लीलादेवी पत्नी भागचन्द
2. भंवरीदेवी पत्नी सत्यनारायण समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम बूबानिया, नसीराबाद

——वादीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री नवीन गुर्जर

बनाम

1. शारदा पत्नी मदन पुत्री रामदेव निवासी किराप, भिनाई, केकडी
2. लालीदेवी पत्नी कैलाश पुत्री रामदेव निवासी केसरपुरा, नसीराबाद,
3. भागचन्द
4. सत्यनारायण पि. रामदेव, निवासी ग्राम बूबानिया, नसीराबाद
5. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :— 1 से 4 जरियें अधिवक्ता श्री कालूराम गुर्जर,
5 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 12.12.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बूबानिया के हाल खसरा नम्बर 815/0.20, 818/0.70 व 821/0.72 की आराजी के साबिक खसरा नम्बर 516 मिन व नया खसरा नम्बर 3023/3131/2 रकबा 10—0—0 था। उक्त आराजी रामदेव पुत्र धन्ना को दिनांक 24.11.1975 को आवंटन क माध्यम से प्राप्त हुई, आवंटन का इप्द्राज जमाबंदी में करते समय राजस्व कार्मिको की गलती से रामदेव पुत्र धन्ना की जाति भांबी के स्थान पर रेंगर अंकित हो गया। तथा रामदेव पुत्र धन्ना का निवास साीन बूबानिया के स्थान पर राजगढ अंकित हो गया। रामदेव पुत्र धन्ना की मृत्यु 10.08.2024 को हो गयी थी, रामदेव ने अपनी मृत्यु ये पूर्व आराजी मुतनाजा की वसीयत वादीगण जो रामदेव की पुत्रवधु है के पक्ष में निष्पादित की थी। अतः आराजी मुतनाजा पर रामदेव पुत्र धन्ना की जाति रेगर के स्थान पर भांबी व निवास स्थान राजगढ के स्थान पर बूबानिया अंकित करते हुये वादीगण को आराजी मुतनाजा का खातेदार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने स्वीकारोक्ति को [illegible] किया। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही [illegible] नही की गयी। अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादीगण ने प्रकरण में साक्ष्य नही [illegible] करना जाहिर किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:04:47 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम बूबानिया के हाल खसरा नम्बर 815/0.20, 818/0.70 व 821/0.72 की आराजी राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 3023/3131/2 में से रकबा 10–0–0 आराजी रामदेव पुत्र धन्ना को आवंटित हुआ था। वादी द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र की प्रति में आवंटी का नाम रामदेव पुत्र धन्ना जाति भांबी निवासी बूबानिया दर्ज है। रामदेव पुत्र धन्ना की मृत्यु 10.08.2024 को हो गयी है। रामदेव के मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड मतदाता परिचय पत्र में उसका निवास स्थान बूबानिया अंकित है। प्रतिवादीगण ने वाद के तथ्यों को स्वीकार किया है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा के आवंटन दस्तावेज से रामदेव पुत्र धन्ना की जाति व निवास स्थान त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण का यह भी कथन है कि आराजी मुतनाजा की वसीयत रामदेव पुत्र धन्ना द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित की गयी थी। किन्तु वादी ने रामदेव पुत्र धन्ना के समस्त विधिक वारिसान की स्थिति स्पष्ट नही की है। पत्रावली में प्रस्तुत वसीयत में रामदेव पुत्र धन्ना द्वारा आराजी मुतनाजा की वसीयत पूर्व में भागचन्द पुत्र रामदेव (प्रतिवादी संख्या 3) के पक्ष में निष्पादित करना व उसे निरस्त करना भी बताया है। उक्त वसीयत के समर्थन में वादीगण द्वारा साक्ष्य भी पेश नही किये है। अतः वसीयत के तथ्य अदम साक्ष्य में तय नही किये जा सकते है।

उक्तानुसार ग्राम बूबानिया के हाल खसरा नम्बर 815/0.20, 818/0.70 व 821/0.72 की आराजी पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर रामदेव पुत्र धन्ना की जाति रेगर के स्थान पर भांबी व निवास स्थान राजगढ के स्थान पर बूबानिया अंकित करने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:04:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

लीलादेवी बनाम शारदा

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 1947 / 2024
पेश करने की दिनांक – 18.09.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक नवीन गुर्जर मुद्दई कालूराम गुर्जर व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम बूबानिया के हाल खसरा नम्बर 815 / 0.20, 818 / 0.70 व 821 / 0.72 की आराजी पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर रामदेव पुत्र धन्ना की जाति रेगर के स्थान पर भांबी व निवास स्थान राजगढ के स्थान पर बूबानिया अंकित करने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 12 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:04:47 IST
Reason: SelfAttested